अध्याय 6: राजकोषीय संचालनों में पारदर्शिता एवं प्रकटन

एफआरबीएम अधिनियम में अपेक्षित है कि केन्द्र सरकार अपने राजकोषीय संचालनों में अधिक से अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करे और निर्धारित प्रपत्रों में ऐसे प्रकटन तैयार करें। इस अध्याय में अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य प्रकटीकरण प्रपत्रों/विवरणियों में शामिल डाटा के साथ सरकारी लेखाओं में सामान्य पारदर्शिता का विश्लेषण करता है।

6.1 सरकारी लेखाओं में पारदर्शिता

एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6(1) में प्रावधान है कि केन्द्र सरकार को लोक हित में अपने वित्तीय संचालनों में अधिक से अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए तथा वार्षिक वित्तीय विवरणी एवं अनुदानों की मांग तैयार करने में गोपनीयता को जितना संभव हो न्यूनतम करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, व्यय और प्राप्ति के पहचान के सिद्धान्त को बजट दस्तावेज, वित्त और विनियोग लेखाओं में सुसंगत होना अपेक्षित है। पारदर्शिता के मुद्दों से संबंधित अभ्युक्तियों की निम्नलिखित पैरों में चर्चा की गई है।

6.1.1 घाटा आंकड़ों में विविधता

वार्षिक वित्तीय विवरणियों (एएफएस)/संघ सरकार के वित्त लेखे (यूजीएफए) में शामिल डाटा के आधार पर राजस्व और राजकोषीय घाटे के आंकड़ों तथा बजट- सार (बीएजी) में दर्शाये गए आंकड़े से अंतर के मामले को नियमित रूप से सीएजी के प्रतिवेदनों में सूचित किया गया था। नीचे **तालिका-6.1** वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए राजस्व और राजकोषीय घाटे के संदर्भ में वार्षिक वित्तीय विवरण और बजट सार में से लिए गए आंकड़ों पर आधारित बजटीय प्रक्षेपण को प्रस्तुत करती है।

तालिका -6.1: घाटे के अनुमानों में अंतरः 2015-16

(₹ करोड़ में)

निम्नानुसार अनुमान	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय	राजस्व घाटा (आरडी)	कुल गैर-ऋण प्राप्ति	कुल व्यय	राजकोषीय घाटा (एफडी)
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
वार्षिक वित्तीय विवरणी	13,97,620	17,92,562	3,94,942	14,89,834	20,45,988	5,56,154
बजट सार	11,41,575	15,36,047	3,94,472	12,21,828	17,77,477	5,55,649
	आरडी में अंतर		470	एफडी में अंतर		505

स्रोत: बजट 2015-16

एएफएस संविधान के अनुच्छेद 112(1) के अनुपालन में संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का ब्यौरा है। तथापि बीएजी, जो कि प्राप्ति एवं संवितरण के अनुमानों को संक्षिप्त में दर्शाता है, में घाटे के अनुमान, राजकोषीय तटस्थता/गैर-नकद लेनदेन के तर्क पर आधारित व्यय के प्रति प्राप्तियों को निवल करने के बाद प्राप्त किये गये हैं। एएफएस से निवल किये गये लेनेदेनों को स्पष्ट करते हुए प्राप्ति एवं व्यय बजट में समाधान विवरणियों को संलग्न किया गया है।

समाधान विवरणियों की जांच ने दर्शाया कि राजस्व व्यय के अनुमानों को अफ्रीका विकास निधि/एशिया विकास निधि को जारी प्रतिभूतियों के कारण ₹470.53 करोड़ से निवल किया गया था और समरूप राशि को पूंजीगत प्राप्ति के अन्तर्गत दर्ज किया गया था। चूंकि अफ्रीका विकास निधि/एशिया विकास निधि को जारी प्रतिभूतियों से संबंधित लेनदेन पूंजीगत प्रकृति का था इसलिए राजस्व व्यय से इस लेन-देन को निवल करने हेतु बजट दस्तावेजों में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसका परिणाम एएफएस की तुलना में राजस्व घाटे में समान राशि के अंतर में हुआ। इसके अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को जारी प्रतिभूतियों के कारण ₹34.84 करोड़ के लेन-देन को पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्ति में निवल किया गया था।

अनुमानित वर्ष के तदनुसार वित्तीय वर्ष के अन्त में, अनुपूरक प्रावधानों को प्राप्त करने और संघ सरकार लेखाओं को अंतिम रूप देने के उपरांत वर्ष के दौरान अंतर अधिक बढ़ गया, जैसा कि **अनुबंध 3.1** से देखा जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए, एएफएस/संघ सरकार के वित्त लेखे में निहित डाटा के आधार पर निकाले गए वास्तविक राजकोषीय घाटे एवं बीएजी में दर्शाये गये घाटे में ₹52,706 करोड़[15] का अन्तर था। इसके प्रति**,** अनुमानित स्तर पर अंतर केवल ₹505 करोड़ था।

बीएजी में घाटों के अनुमान लगाते समय प्राप्तियों और व्यय के कुछ लेनदेनों को सरकार द्वारा निवल किया जाता है। चूंकि एमटीएफपी विवरणी में राजकोषीय संकेतकों के लक्ष्य बीएजी में शामिल आंकड़ों से एकीकृत किये जाते इसलिए

[15] 2015-16 के संघ सरकार के वित्त लेखे में ऋण एवं अग्रिमों की वसूली ₹41,878.38 करोड़ दर्शाई गई है जबकि वार्षिक वित्तीय विवरणी में ₹8.58 करोड़ के अंतर से इसे ₹41,869.80 करोड़ दर्शाया गया है।

राजस्व और राजकोषीय घाटे के परिकलन को प्रभावित करने वाले किसी भी लेन-देन निवल करना, एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित घाटों की परिभाषा से असंगत है।

मंत्रालय ने बताया (जून 2017) कि अफ्रीका विकास निधि/एशियाई विकास निधि को जारी प्रतिभूतियां अंशदान के रूप में एवं गैर-नकद लेन-देन था; इसलिए इसे राजस्व व्यय के साथ निवल किया गया था। इसने बताया कि प्राप्ति पक्ष में राशि को मुख्य शीर्ष 6001 के अंतर्गत पूंजीगत व्यय के रूप में समूचित रूप से दर्ज किया गया था। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय निकायों को जारी प्रतिभूतियों के कारण ₹633 करोड़ को राजस्व लेखा व्यय के साथ निवल कर किया गया था और ₹52,181.60 करोड़ को पूंजीगत लेखा व्यय के साथ निवल कर किया गया था जिसके परिणामस्वरूप एएफएस/संघ सरकार के वित्त लेखे से परिकलित वास्तविक घाटे के आंकड़े में बीएजी के आंकड़े से अंतर आ गया।

मंत्रालय के उत्तर पर विचार करते हुए, इस पर बल दिया गया है कि एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6(1) केन्द्र सरकार को अपने राजकोषीय संचालनों में अधिक से अधिक पादर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करने को अपेक्षित करती है। किसी लेन-देन को नकद एवं/अथवा गैर-नकद को निवल करने की प्रक्रिया एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित घाटे की परिभाषा के साथ संगत नहीं है। वर्ष-प्रतिवर्ष असंगत प्रक्रिया की निरंतरता का परिणाम बजट सार में दर्शाये गये घाटे के आंकड़ों एवं वार्षिक वित्त विवरण/संघ सरकार के वित्त लेखे से प्राप्त आंकड़ों में अंतर में हुआ था।

6.1.2 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के व्यय में अंतर

बजट दस्तावेज में, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर किये गये वास्तविक व्यय के आंकड़े बजट-सार में दर्शाए गए हैं और उनका मंत्रालय-वार विवरण व्यय बजट, खण्ड-I के साथ संलग्न है। वित्त मंत्रालय के अधीन महालेखा नियंत्रक (सीजीए) द्वारा संकलित संघ सरकार के वित्त लेखे में, यह आंकड़ा परिशिष्ट की विवरण सं. 9 में प्रकटीकरण विवरणी के रूप में प्रकट होता है। सीजीए द्वारा प्रकाशित लेखा-सार एक अन्य दस्तावेज है जो कि सरकार की सम्बंधित वर्ष की वित्तीय सूचना का बृहत स्तरीय अवलोकन प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय

के वास्तविक आंकड़ों की तुलना करते समय सीजीए के द्वारा संकलित/तैयार दस्तावेजों और बजट दस्तावेजों के बीच अन्तर पाया गया था जैसा निम्न **तालिका 6.2** में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका-6.2: पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर व्ययः 2015-16

(₹ करोड़ में)

संघ सरकार के वित्त लेखे/लेखा सार के अनुसार	बजट सार/व्यय बजट, खण्ड-I के अनुसार	अंतर
1,30,955	1,31,754	799

स्रोत: बजट दस्तावेज, लेखा सार और संघ सरकार के वित्त लेखे

मंत्रालय ने बताया (जून 2017) कि पूंजीगत परिसंपत्तियो के सृजन हेतु अनुदानों पर बजट विवरणी में प्रदत्त सूचना विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान की गयी सूचना/इनपुट पर आधारित थी। इसने यह भी प्रस्तुत किया कि मंत्रालय के पास मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान की गयी सूचना की सत्यतता को स्वतंत्र रूप से जांचने का कोई साधन नहीं है। हांलाकि मंत्रालय ने सूचित किया कि गलतियों/असंगतियों को सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

वित्त मंत्रालय को एफआरबीएम अधिनियम के संचालन हेतु नोडल मंत्रालय होने से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिनियम के अंतर्गत एकत्रित एवं प्रकट की जा रही सूचना पूर्ण, सटीक एवं मंत्रालय के विभिन्न स्कंधों द्वारा प्रदान किये गये अन्य सरकारी दस्तावेजों के साथ संगत है।

6.1.3 देयता की राशि में अंतर

केन्द्र सरकार की देयताओं को दर्शाने वाली एक विवरणी, प्राप्ति बजट में अनुबंध के रूप में संलग्न होती है। देयताओं के विवरणों को संघ सरकार के वित्त लेखे (यूजीएफए) के माध्यम से भी दर्शाया जाता है। नीचे **तालिका-6.3** में वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्त में सरकार की देयताओं की स्थिति में पाया गया अंतर दर्शाया गया है, जो प्राप्ति बजट और यूजीएफए के माध्यम से प्रकट होती है।

तालिका-6.3: देयताओं की राशि में अंतर-2015-16

(₹ करोड़ में)

	निम्न में दर्शायी गई के रूप में देयताएं		अंतर
	बजट प्राप्ति	यूजीएफए	
लोक ऋण	55,15,097	55,15,097	शून्य
राष्ट्रीय लघु बचत, भविष्य निधि, अन्य लेखे	1188361	12,31,500	43,139
आरक्षित निधि एवं जमा	1,98,513	1,98,513	शून्य
कुल देयताएं	69,01,971	69,45,110	43,139

स्रोत : प्राप्ति बजट 2017-18 और संघ सरकार के वित्त लेखे 2015-16 की विवरणी सं. 2

यूजीएफए 2015-16 में, राष्ट्रीय लघु बचतों, भविष्य निधि और लोक लेखों में अन्य लेखाओं के कारण सकल देयताएं ₹12,31,500 करोड़ के रूप में दर्शाई गई हैं। जबकि प्राप्ति बजट में, राष्ट्रीय लघु बचत, भविष्य निधि, अन्य लेखा देयताएं सकल आधार पर दर्शाई गई है फिर भी उसमें निजी निधि प्रबंधकों के माध्यम से डाकघर बीमा निधि के निवेश की राशि शामिल न होने के कारण ₹43,139 करोड़ का अंतर है।

मंत्रालय ने बताया (जून 2017) कि कुल देयताओं की राशि में अंतर संबंधी अभ्युक्ति की जांच की जा रही है और इससे संबंधित टिप्पणियों/उत्तरों को शीघ्र ही सूचित किया जाएगा।

6.2 प्रत्यक्ष कर प्राप्ति आंकड़े में पारदर्शिता की कमी

वार्षिक वित्तीय विवरणी और संघ सरकार के वित्त लेखे में, कर राजस्व से अनुमानों और वास्तविक संग्रहण की वापसियों की राशि को ध्यान में रखने के बाद दर्शाया जाता है (वापसियों पर ब्याज सहित)। संघ सरकार के प्रत्यक्ष कर प्राप्ति के विश्लेषण ने प्रकट किया है कि संग्रहित-कर का पर्याप्त भाग प्रत्येक वर्ष वापस कर दिया जाता है, जैसा कि नीचे **तालिका 6.4** में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका 6.4: प्रत्यक्ष कर का संग्रहण और वापसियां

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष कर संग्रहण* (1)	वापसियां# (2)	कुल प्रत्यक्ष कर संग्रहण (3=1+2)	प्रत्यक्ष कर संग्रहण के प्रति वापसियों की प्रतिशतता (2/3)
2011-12	4,93,987	1,00,300	5,94,287	16.88
2012-13	5,58,989	90,432	6,49,421	13.93
2013-14	6,38,596	95,658	7,34,254	13.03
2014-15	6,95,792	1,17,495	8,13,287	14.45
2015-16	7,42,012	1,29,482	8,71,494	14.86

** स्रोतः संघ सरकार के वित्त लेखे और सीएजी का वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या-2 (प्रत्यक्ष कर)।*

 # वापसियों में करों के प्रतिदाय पर लगा ब्याज भी सम्मिलित

विगत पाँच वर्षों की अवधि 2011-16 के दौरान, वापसियां, कुल प्रत्यक्ष कर संग्रहण के 13.03 से 16.88 प्रतिशत के बीच थी। वित्तीय वर्ष 2015-16 में, वापसियों की राशि में वापसियों पर ब्याज पर व्यय के रूप में ₹6,886 करोड़ शामिल है। यद्पि वापसियों की राशि काफी अधिक थी, फिर भी वापसियों की राशि प्रमात्रा की कोई भी सूचना न तो वार्षिक वित्तीय विवरणी और न ही संघ सरकार के वित्त लेखों में दर्शायी गई थी। इस प्रकार, सरकार के लेखे कर राजस्व संग्रहण की सूचना के संबंध में पारदर्शी नहीं थे।

मंत्रालय ने बताया (जून 2017) कि वित्त लेखे में राजस्व प्राप्तियों को 'कर राजस्व प्राप्तियां' एवं 'गैर-कर राजस्व प्राप्तियां' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्यक्ष करों के आंकड़े अलग से नहीं दर्शाये गये हैं। उन्होंने आगे बताया कि वित्त लेखे में, कर संग्रहण को लघु शीर्ष स्तर पर दर्ज/दर्शाया गया है जो वापसियों का निवल है। राजस्व की वापसी को एक स्तर नीचे यथा उपशीर्ष स्तर पर दर्ज किया जाता है।

मंत्रालय का उत्तर एक वर्ष में सकल कर संग्रहण तथा उसमें से की गयी वापसियों के लेखाकरण में पारदर्शिता से संबंधित लेखापरीक्षा की चिंता का निपटान नहीं करता है, जबकि निवल संग्रहण को लेखे में दिखाया जाता है। संघ सरकार के वित्त लेखे को लघु शीर्ष स्तर पर तैयार किया जाता है, जबकि वापसियों की राशि, काफी अधिक होने के बावजूद, को वर्गीकरण के निम्नतर स्तर पर दर्ज किया जाता है और इस तरह इस संकलन में वापसियां छिप जाती है। संघ सरकार के वित्त लेखे या बजट दस्तावेजों में इस सूचना के समुचित प्रकटन से एफआरबीएम अधिनियम में परिकलित पारदर्शिता की आवश्यकता पूरी हो जाएगी।

6.3 एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य प्रकटन विवरणियों में पारदर्शिता

एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6 के अनुपालन में, बजट सहित, छः प्रकटन विवरणियों, जैसा **अनुबंध-1.1** में ब्यौरे दिए गए हैं, को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। इन विवरणियों की जांच से प्रकटनों में अपर्याप्तता प्रकट हुई जिनकी अनुवर्ती पैराओं में चर्चा की गई है।

6.3.1 गैर-कर राजस्व के बकाया के प्रकटन में असंगति

एफआरबीएम नियमावली का नियम 6 में **फार्म डी-2** में बकाया गैर-कर राजस्व के ब्यौरे देने वाली एक विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है। प्राप्ति बजट 2017-18 (अनुबंध-11) में रिपोर्टिंग वर्ष 2015-16 के अन्त में गैर-कर राजस्व के बकाया का विवरण दिया गया है। इस प्रकटन के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्त में, गैर-कर राजस्व का बकाया ₹1,41,966.26 करोड़ था, जिसमें राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों, वाणिज्यक उपक्रम विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से ब्याज प्राप्तियों का बकाया ₹43,182.92 करोड़ की राशि भी शामिल थी।

यह पाया गया था कि राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों और दूसरी कर्जदार संस्थाओं से ब्याज प्राप्तियों के बकायों, जैसा वित्तीय वर्ष 2015-16[16] हेतु संघ सरकार के वित्त लेखे के माध्यम से दर्शाया गया है में **फार्म डी-2** के माध्यम से दर्शाये गए आंकड़ों से अंतर था, जैसा नीचे **तालिका 6.5** में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका-6.5: ब्याज बकाया के प्रकटन में असंगति: 2015-16

(₹ करोड़ में)

कर्जदार संस्थाएं	निम्न के अनुसार ब्याज बकाया		अंतर
	फार्म डी-2	यूजीएफए	
राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकार	1,858.90	2,097.78	+238.88
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रम	41,324.02	41,073.88	-250.14

स्रोतः प्राप्ति बजट और संघ सरकार के वित्त लेखे

आगे जांच से प्रकट हुआ कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फार्म डी-2 के संबंध में सूचना प्रस्तुत करते समय ₹3,753.11 करोड़ की राशि का ब्याज के बकाया को प्रस्तुत नहीं किया जो प्रसार भारती से प्राप्य था और 2015-16 की यूजीएफए की विवरणी संख्या 15 के भाग-3 में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2017) कि प्रसार भारती (सांविधिक तथा स्वायत्त संगठन) से संबंधित सूचना वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत फार्म डी-2 में सम्मिलित नहीं थी क्योंकि सूचना केवल राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से ही मांगी गयी थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के उत्तर को देखते हुए, फार्म डी-2 में वित्त मंत्रालय द्वारा मिलान तथा संसद को प्रस्तुत सूचना अपूर्ण है।

[16] विवरणी सं. 3

6.3.2 बकाया में कोयला उगाही की गलत सूचना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, 204 कैप्टिव कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया था (सितम्बर 2014) और निकाले गये कोयले पर ₹295 प्रति टन की दर से अतिरिक्त उगाही लगा दी थी। एफआरबीएम पर सीएजी के प्रथम प्रतिवेदन (2016 की सं. 27) में, ₹3,368 करोड़ की कोयला उगाही की बकाया राशि (31 मार्च 2015 तक) और गैर कर-राजस्व के बकायों से संबंधित प्रकटन विवरणी (फार्म डी-2) में इसको शामिल न करने पर एक पैरा तैयार किया गया था।

यह देखा गया था कि रिपोर्टिंग वर्ष 2015-16 हेतु, कोयला मंत्रालय द्वारा फार्म डी-2 में वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत कोयला उगाही की बकाया राशि, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत सूचना की तुलना में गलत थी। फार्म डी-2 में और लेखापरीक्षा को प्रस्तुत सूचना का नीचे **तालिका 6.6** में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका-6.6: गैर कर राजस्व का बकाया-रिपोर्टिंग वर्ष 2015-16

(₹ करोड़ में)

	लम्बित राशि			कुल बकाया राशि
	0-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	
फार्म डी-2 में दर्शायी गई अन्य प्राप्तियां (अतिरिक्त उगाही)	3,368.18	3,551.36	3,536.55	10,456.09
लेखापरीक्षा को दी गई सूचना जो फार्म डी-2 में दर्शाई जानी चाहिए थी	183.18	3,368.18	शून्य	3,551.36

6.3.3 परिसम्पत्ति रजिस्टर में विवरणों के प्रकटन में अंतर

एफआरबीएम नियमावली के नियम 6 में फार्म डी-4 में सरकार की भौतिक एवं वित्तीय परिसम्पत्तियों की एक विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है। प्राप्ति बजट 2017-18 (अनुबंध-4(iv) रिपोर्टिंग वर्ष 2015-16 के अन्त में संघ सरकार की परिसम्पत्तियों के विवरण प्रदान करता है। सरकार द्वारा किए गए प्रकटन के अनुसार, वर्ष 2015-16 के अन्त में परिसम्पत्तियों का कुल संचय ₹10,63,677.39 करोड़ था। परिसम्पत्ति रजिस्टर से संबंधित प्रकटीकरण में निम्नलिखित असंगतियां पाई गई थीं।

6.3.3.1 विदेशी सरकारों को ऋण के आंकड़ों में असंगति

प्रकटन विवरणी **फार्म डी-4** की जांच से प्रकट हुआ कि ₹12,248.21 करोड़ की राशि को 2015-16 के अंत तक विदेशी सरकारों से बकाया ऋणों के रूप में दर्शाया गया है। संघ सरकार के वित्त लेखे 2015-16 में शामिल इसी प्रकार की सूचना ने प्रकट किया कि ₹12,034.59 करोड़ की राशि विदेशी सरकारों से ऋणों के रूप में बकाया थी। अतः, फार्म डी-4 विवरणी में विदेशी सरकारों से बकाया ऋण की ₹213.62 करोड़ की अत्युक्ति थी।

6.3.3.2 परिसंपत्तियों के अंत एवं अथशेषों के आंकड़ों में अंतर

प्राप्ति बजट 2016-17 और 2017-18 के साथ संलग्न **फार्म डी-4** की जांच पर परिसंपत्तियों के अंत एवं अथशेषों में अंतर पाए गए थे जैसा **तालिका-6.7** में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका - 6.7: परिसंपत्तियों के मूल्य में अंतर

(₹ करोड़ में)

रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में कुल परिसंपत्तियां (अंत आंकड़ें)		अगले रिपोर्टिंग वर्ष के प्रारंभ में कुल परिसंपत्तियां (अथ आंकड़े)		अंत एवं अथ आंकड़ों में अंतर
2014-15	9,71,354.25	2015-16	9,48,173.47	23,180.78
2015-16	10,63,677.39			

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए प्राप्ति बजट.

इस विसंगति को एफआरबीएम पर सीएजी के प्रथम प्रतिवेदन (2016 की सं. 27) में भी इंगित किया गया था। यद्यपि, प्राप्ति बजट 2017-18 में, एक फुटनोट- 'पिछले वर्ष के अंत शेष और रिपोर्टिंग वर्ष के अथ शेष में अंतर मिलान के कारण है' को कथित अंतरों को पूरा करने के लिए फार्म डी-4 में डाला गया है। चूंकि, फार्म डी-4 में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों को दर्शाया गया है इसलिए यह नहीं दर्शाया गया था कि परिसंपत्तियों की किस श्रेणी का मिलान किया गया था जिसके कारण पिछले वर्ष के अंत शेष और रिपोर्टिंग वर्ष के अथशेष में अंतर हुआ।

मंत्रालय ने पैरा 6.3.1, 6.3.2 एवं 6.3.3 के संबंध में बताया (जून 2017) कि बजट प्रभाग, सूचना का संकलन संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर ही करता है। मंत्रालय ने आगे बताया कि बजट प्रभाग के पास मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदत्त सूचना की सत्यतता को स्वतंत्र से सत्यापित करने का कोई साधन नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गैर-कर राजस्व के बकायों पर असंगत सूचना का उदाहरण देते हुए, मंत्रालय ने बताया कि स्वयं लेखापरीक्षा ने संबंधित मंत्रालय की ओर से हुई गलतियों को सत्यापित किया है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने बताया कि गलतियों/असंगतियों को सुधारने के प्रयास किये जा रहे थे।

एफआरबीएम अधिनियम के प्रशासन हेतु नोडल मंत्रालय होने से वित्त मंत्रालय को सभी मंत्रालयों/विभागों को समन्वय सुनिश्चित करने के उपयुक्त निर्देश जारी करने चाहिए ताकि सही एवं संगत आंकड़े निर्धारित प्रकटन प्रपत्रों एवं अन्य संबद्ध दस्तावेजों में सम्मिलित हो।

अनुशंसा: *सरकार को अपने वित्तीय संचालनों में पर्याप्त पारदर्शिता और सुसंगति सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि राजकोषीय संकेतकों की सटीक रूप से गणना की जा सके और अधिनियम के तहत अनिवार्य प्रकटन प्रपत्रों में सही जानकारी शामिल हो।*

निष्कर्ष:

सरकार के राजकोषीय संचालनों में पारदर्शिता एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित राजकोषीय संकेतकों के सटीक लक्ष्य प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण घटक है। तथापि, बजट-सार एवं वार्षिक वित्त विवरणियों में घाटा आंकड़ों के प्रकटन में पारदर्शिता की कमी थी। संघ सरकार के वित्त लेखे तथा व्यय बजट के माध्यम से प्रकट किये गये पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय में अंतर था। इसके अतिरिक्त, संघ सरकार के वित्त लेखे तथा प्राप्ति बजट के माध्यम से दर्शायी गयी सरकार की सकल देयता स्थिति में भी अंतर थे। यद्यपि बड़ी राशि वापसी सकल प्रत्यक्ष कर संग्रहण से से की गई थी फिर भी सरकारी वित्त लेखे एवं अन्य प्रकाशनों में इसका वर्णन अस्पष्ट है। सरकार द्वारा एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से किये गये प्रकटीकरण पूर्ण नहीं थे और ये संघ सरकार के वित्त लेखे में शामिल संबंधित सूचना के साथ संगत नहीं थे।

नई दिल्ली
दिनांक: 14 जुलाई 2017

(मुकेश प्रसाद सिंह)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 14 जुलाई 2017

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक